गुरूदेव सिंह

बनाम

एम.पी. राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1125/2011)

मई 10, 2011

(डॉ. मुकुन्दकम शर्मा और अनिल आर. दवे,, जेजे.)

दण्ड संहिता, 1860:

धारा 302/34 व 323/34- तीन अभियुक्तों ने पीड़ित पर घातक हथियारों से हमला किया था जिससे एक पीड़ित अगली सुबह मृत पाया गया - एक अभियुक्त की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई और दो अभियुक्तों को धारा 302/34 व 307/34 के तहत विचारण न्यायालय ने दोषसिद्ध किया - उच्च न्यायालय ने अपील में धारा 302/34 के तहत दोषसिद्धी को यथावत रखा लेकिन 307/34 की दोषसिद्धी को अपास्त किया व धारा 323/34 के तहत नवीन दोषसिद्धी की - एक अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील दायर की -

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्धारण- आहत चक्षुदर्शी साक्षी का स्पष्ट साक्ष्य है कि अभियुक्तों ने गंभीर उपहतियां मृतक के सिर व शरीर के अन्य भागों पर कृपाण, लोहंगी व लाठी से कारित की - दूसरे चक्षुदर्शी

साक्षी ने कथन किया कि मृतक को चोटें मारने के बाद अभियुक्तों ने उसे नाले में फेंक दिया - इस प्रकार चिकित्सीय साक्षी, चक्षुदर्शी साक्षी, अभियुक्तों का खुद का कथन, जिससे हथियारों की बरामदगी हुई है, यह स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि मृतक को गंभीर उपहति कारित हुई थी और वह अभियुक्तों द्वारा प्रयोग किये गये हथियारों से हुई थी, जिनसे मृतक मृत्यु को प्राप्त हुआ- अपीलार्थी की धारा 302/34 व 323/34 भातीय दण्ड संहिता की दोषसिद्धी व दण्डादेश को यथावत रखा गया।

धारा 300- अपवाद 1 से 4-तीन अभियुक्तों ने दो पीड़ितों पर प्राणघातक हथियारों से हमला किया जो एक पीड़ित की मृत्यु में परिणित हुआ- अभियुक्त का बचाव यह है कि पीड़ित पक्ष ने प्रकोपन दिया था और अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में लड़ाई हुई है -

न्यायालय द्वारा अवधारण: अभियुक्तों के यह बचाव अभिलेख पर आये साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं, जबकि साक्ष्य में यह आया है कि प्रकोपन अभियुक्तों ने दिया, ना कि पीड़ितों ने - ना ही ये अचानक झगड़ा हुआ था, यह साबित कर दिया गया है। अभियुक्तों के पास घातक हथियार थे, जैसे कृपाण, लोहंगी व लाठी और उन्होंने पीड़ितों को घेरा और मृतक के मर्म अंगों पर मृत्यु कारित करने के इरादे से प्रहार किये, इसलिये धारा 300 का कोई अपवाद लागू नहीं होता है।

एफआईआर दायर करने में हुई देरी - पीड़ितों पर 8 बजे रात्रि में

हमला हुआ था और पीड़ित की लाश अगली सुबह मिली, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई- न्यायालय का निर्धारण- जैसे कि मृतक घटनास्थल पर नहीं पाया गया, जिससे पूरी रात उसकी तलाश हुई और वह अगली सुबह नाले में मिला, उसके शीघ्र बाद ही एफआईआर दर्ज हुई, यह विलम्ब के कारण का उचित स्पष्टीकरण है।

अपीलार्थी-अभियुक्त नं. 2 (ए 2) अभियुक्त संख्या ए-1 के साथ और 'बी' के साथ शिकातकर्ता पी.ड. 3 के भाई बीएस की मृत्यु के लिये अभियोजित किये गये थे। अभियोजन का मामला इस प्रकार था कि दिनांक 17.11.1986 को बीएस एसएस के साथ चने के बीज लाने गया था व लगभग 8 बजे जब वे घटनास्थल पर पहुंचे ए-1 के हाथ में कृपाण थी, बी के हाथ में लाठी थी और ए-2 के हाथ में लोहंगी थी, पीड़ितों को मिले। अभियुक्त बी की मृतक भोला सिंह से दुश्मनी थी, क्योंकि वह बी की बहन की शादी एलएस से करवाना चाहता था, जिसका बी ने विरोध किया था। इन तीनों अभियुक्तों ने भोला सिंह व पी.ड. बीएस पर हमला किया, जिससे भोला सिंह गंभीर चोटों के कारण गिर गया व पी.ड. 1 घटना से भाग गया और उसने घटना पी.ड. 3 को बताई, जिस पर पी.ड. 3 पी.ड. 1 एवं अन्य के साथ घटनास्थल पर आया लेकिन उन्हें बीएस वहां नहीं मिला। अगली सुबह बीएस का मृत शरीर नाले में मिला तब एफआईआर दर्ज हुई। दौराने विचारण बी की मृत्यु हो गई। विचारण न्यायालय ने ए-1 तथा ए-2 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 व 307/34 के तहत दोषसिद्ध

किया व आजीवन कारावास एवं 7 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया। उच्च न्यायालय ने धारा 302/34 की दोषसिद्धी को यथावत रखा किन्तु धारा 307/34 की दोषसिद्धी को नहीं माना व इसके बजाय धारा 323/34 के तहत अभियुक्त को दोषसिद्ध किया।

वर्तमान अपील जो ए2 ने दायर की है, जिसमें उसने कथन किया है कि अभियोजन के साक्ष्य में गंभीर विसंगतियां हैं, इसलिये पी.ड. 1 व पी.ड. 2 का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है, साथ ही पी.ड. 1 हितबद्ध साक्षी है, क्योंकि वह पक्षकारों के बीच लड़ाई में शामिल था, जिसमें अभियुक्तों को भी चोट लगी है। साथ ही अभियोजन ने प्राथमिकी दर्ज कराने में विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है और अभियुक्तगण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के अपवादों से संरक्षित हैं, क्योंकि शिकातयकर्ता पक्ष ने उन्हें प्रकोपन दिया था और अचानक झगड़े से घटना कारित हुई है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपील खारिज करते हुये निर्धारण किया।

निर्धारण- 1.1. पी.ड. 1 आहत व चक्षुदर्शी साक्षी है और उसने घटना का सूक्ष्म व स्पष्ट ब्यौरा दिया है कि घटना कैसे घटी। उसने स्पष्ट कथन किया है कि शिकायतकर्ताओं की ओर से कोई प्रकोपन नहीं दिया गया था और प्रकोपन अभियुक्तों की ओर से दिया गया था। पी.ड. 1 का यह स्पष्ट कथन है कि अपीलार्थी व अन्य अभियुक्तों ने मृतक के सिर व शरीर के अन्य भागों पर लोहंगी, कृपाण व लाठी से गंभीर चोटें कारित की थी।

अपीलार्थी व अन्य अभियुक्तों ने पी.ड. 1 को भी लाठी की चोटें मारी थी और पी.ड. 1 को यह एहसास होने पर कि अभियुक्त उसे मार सकते हैं, वह घटनास्थल से भाग गया और घटना अपने पिता को बताई, जिस पर पिता के साथ वह स्वयं एवं अन्य लोग घटनास्थल पर आये, वहां मृतक नहीं मिला, जिसकी खोजबीन पूरी रात हुई, अगली सुबह दिनांक 18.12.1986 को मृतक की लाश नाले में मिली, जिस पर एफआईआर दर्ज कराई गई। (पैरा 13-14)(950-ई-एच, 951-ए-ई)

1.2. पी.ड. 2, जो स्वयं घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है, उसने स्पष्ट कथन किया है कि तीनों अभियुक्तों ने मृतक के सिर पर, हाथों पर, टांगों पर चोटें मारी और पी.ड. 1 के भी चोटें मारी, जब वह मृतक को बचा रहा था, जिस पर पी.ड. 1 घटना से भाग गया। उसने यह भी बताया कि अभियुक्तों ने मृतक को उठाया और नाले की ओर ले गये। इस चक्षुदर्शी साक्षी ने यह आगे और बताया कि उसने चोरी छिपे 8-10 कदम पीछे रहकर अभियुक्तों का पीछा किया, अभियुक्त ने मृतक को नाले में फेंक दिया और दूर चले गये तब पी.ड. 2 अपने गांव आ गया और अगले दिन शिकातयकर्ता को घटना बताई।

1.3. पी.ड. 1 व पी.ड. 3 चक्षुदर्शी साक्षियों का साक्ष्य चिकित्सीय साक्षी पी.ड. 7 से भी समर्थित है, जिसने दिनांक 18.11.1986 को शव परीक्षण किया था। पी.ड. 7 अपनी साक्ष्य में कथन करता है कि मृतक के

शरीर पर 21 चोटें थी, जिनमें से 8 चोटें सिर पर थी। चिकित्सीय साक्षी ने स्पष्ट कथन किया है कि मृतक की मृत्यु सिर की चोटों के कारण हुई है और सिर की चोटें जीवन के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। ये चोटें तीखे काटने वाले हथियार से व कठोर और मोटे हथियार से कारित हुई थी।

1.4. पी.ड. 4, जो लाठी, लोहंगी व कृपाण की बरामदगी का गवाह है, ने स्पष्ट कथन किया है कि अभियुक्तों की सूचना पर हथियार उस स्थान से बरामद हुये थे जो अभियुक्तों ने दिखाया था। इस साक्षी का साक्ष्य अभियुक्तों पर लगे अभियोगों को साबित करता है।

1.5. चिकित्सीय साक्षी पी.ड. 7 का साक्ष्य जब शव परीक्षण रिपोर्ट, पी.ड. 1 के बयान, पी.ड. 2 के बयान व अभियुक्तों के कथनों के साथ पढ़ा जावे तब यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि मृतक को तलवार, लाठी व लोहंगी, जो अभियुक्तों ने प्रयुक्त की, उससे गंभीर चोटें कारित हुई थी, जिससे मृतक की मृत्यु हुई।

2. अभियुक्त का बचाव यह है कि उनका मामला भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के पहले व चैथे अपवाद में आता है, किन्तु उनका यह बचाव साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। अभिलेख पर आये साक्ष्य से दर्शित होता है कि अभियुक्तों ने प्रकोपन दिया था, ना कि मृतक ने और ना ही अचानक झगड़ा हुआ था। यह इस बात से साबित है कि अभियुक्तों के पास

खतरनाक हथियार जैसे कि लोहंगी, कृपाण घटना के समय थे। सही स्थिति यह है कि अभियुक्तों ने मृतक व चक्षुदर्शी साक्षी को घेर लिया व मृतक केे शरीर के मर्म भागों पर तलवारों, लाठियों व लोहंगी से चोटें मारने के इरादे से मारनी आरम्भ कर दी। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्तों का मामला धारा 300 भारतीय दण्ड संहिता के पहले व चैथे अपवाद में आता हो।

कुलेश मण्डल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2007(9) एससीआर 799 त्र (2007) 8 एससीसी 578 के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य 1962 पूरक एससीआर 567 त्र एआईआर 1962 एससी 605, और बाबूलाल भगवान खण्डारे व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 2004(6) पूरक एससीआर 633 त्र (2005) 10 एससीसी 404

3. जहां तक एफआईआर का विलम्ब से दर्ज होने का प्रश्न है, इस संबंध में सूचनादाता ने उचित स्पष्टीकरण दिया है कि मृतक घटनास्थल पर नहीं मिला, शिकायतकर्ता व पी.ड. 1 मृतक को पूरी रात ढूंढने का प्रयास करते रहे और मृतक का शरीर नाले में मिलने पर व मृत्यु हो गई है, यह सुनिश्चित हो जाने पर उन्होंने तत्काल एफआईआर दर्ज कराई। स्पष्टीकरण उचित है। (पैरा 28) (957-बी-सी)

4. संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के बाद यह पाया गया कि अपीलार्थी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 व 323/34 का दोषी है,

इसलिये उच्च न्यायालय का आदेश यथावत रखता है।

न्यायिक दृष्टांतों का संदर्भ:

1962 पूरक एससीआर 567 अवलम्ब लिया गया पैरा 24

2007 (9) एससीआर 799 अवलम्ब लिया गया पैरा 25

2004 (6) पूरक एससीआर 633 अवलम्ब लिया गया पैरा 26

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारिता। आपराधिक अपीलीय याचिका संख्या 1125/2011।

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर बेंच ग्वालियर, आपराधिक विविध याचिका संख्या 426/1999 द्वारा अंतिम निर्णय व आदेश दिनांकित 03.08.2007 से उत्पन्न।

शंकर दिवाते (एससीएलएससी), अपीलार्थी की ओर से।

एस.के. दुबे, विकास बंसल, कुसुमअंजली शर्मा व सी.डी. सिंह, प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय मुकुन्दकम शर्मा, जे. द्वारा दिया गया। अनुमति दी गई।

2. यह अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध हुई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 व 323/34 के तहत आजीवन कारावास व 5000/-रूपये जुर्माने

व जुर्माना के व्यतिक्रम पर एक वर्ष की सजा का दण्ड दिया है।

3. मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 18.11.1986 को हरदेव सिंह ने लिखित शिकायत दर्ज कराई जो प्रदर्श पी 1 है। यह शिकायत पिछोर थाना में दर्ज हुई जिसमें यह कहा गया था कि शिकायतकर्ता का भाई भोला सिंह उर्फ कमला, जो गांव शरणागत में रहता था, दिनांक 17.11.1986 को सुखदेव सिंह के साथ चने खरीदने के लिये जनकपुर माध्यम गांव वडेरा गया था, रात्रि के 8 बजे वे दलीपसिंह के टपरा पर पहुंचे, वहां दलीप सिंह का पुत्र राजू, जो तलवार धारण किये हुये थे, बलदेव के पास लाठी थी, छिदा उर्फ गुरूदेव के पास लोहंगी थी, ये तीनों भोला व सुखदेव से मिले। भोला व सुखदेव में इस बात को लेकर दुश्मनी थी कि भोला सिंह बलदेव की बहन की शादी लक्खा सिंह से कराना चाहता था, जो बलदेव को मंजूर नहीं था, इस दुश्मनी के चलते ही अभियुक्तों ने भोला सिंह व सुखदेव सिंह पर हमला किया, जिससे दोनों को चोटें आई। भोला सिंह गंभीर चोटों के कारण गिर गया, जबकि सुवेग सिंह चोट खाकर घटना से भाग गया और उसने घटना के तथ्य हरदेव सिंह को बताये, जिस पर हरदेव सिंह अपने भाई बिला, भिरू व सुवेग के साथ घटनास्थल पर वापिस आये ताकि भोला को बताया जा सके, लेकिन भोला वहां नहीं मिला और अगली सुबह भोला की लाश दलीप सिंह के घर के पास नाले में मिली। लाश को बाहर निकाला गया, जिससे पता लगा की मृतक पर तीखे धार वाले एवं कठोर मोटे हथियार से चोटें कारित की गई

हैं। परिणामतः हरदेव सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई, जो 133/1986 नम्बर की है। पुलिस ने बाद अनुसंधान बलदेव सिंह, छिदा उर्फ गुरूदेव सिंह व राजू के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 व 307/34 के तहत आरोप पत्र पेश किया।

4. अभिलेख से यह भी प्रकट आता है कि अभियुक्तों ने भी पुलिस को एक शिकायत दर्ज कराई थी कि भोला सिंह व सुवेग सिंह ने उन पर हमला किया व उनके चोटें कारित की, किन्तु चिकित्सीय रिपोर्ट से यह दर्शित हो रहा था कि अभियुक्तों को कारित चोटें साधारण प्रकृति की थी।

5. विचारण न्यायालय ने सेशन न्यायालय को प्रकरण सुपुर्द किया। अभियोजन साक्ष्य लिया गया व अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अभियुक्तों के बयान मुलजिम लिये गये।

6. विद्वान सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्तों को धारा 302/34 व 307/34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से दोषसिद्ध किया और धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिये आजीवन कारावास व 5000/-रूपये जुर्माना और जुर्माने के व्यतिक्रम पर एक साल का कठोर कारावास का दण्ड आरोपित किया व धारा 307/34 भारीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए अभियुक्तों के 7 वर्ष का कठोर कारावास व 2000/-रूपये जुर्माना व जुर्माने की चूक पर छः माह का अतिरिक्त कठोर कारावास आरोपित किया गया।

7. सेशन न्यायाधीश के उक्त निर्णय से व्यथित होकर राजू व वर्तमान अपीलार्थी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। बलदेव सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। उच्च न्यायालय ने राजू व वर्तमान अपीलार्थी की अपील पर विचार करने के बाद दिनांक 03.08.2007 द्वारा पारित आदेश से अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 व 323/34 के अपराध से दोषसिद्ध पाया व धारा 307/34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से दोषमुक्त करने योग्य पाया व धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता के लिये पृथक से दण्डादेश पारित नहीं किया, क्योंकि अभियुक्तगण पहले से ही धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए आजीवन कारावास से दण्डादिष्ट थे।

8. उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरूद्ध गुरूदेव सिंह ने अपील की है, जबकि राजू ने नहीं की है। इसलिये न्यायालय के समक्ष केवल गुरूदेव सिंह की दोषसिद्धी व दण्डादेश के औचित्य का प्रश्न है।

9. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि चक्षुदर्शी साक्षी सुवेग सिंह पी.ड. 1 व लक्खा सिंह पी.ड. 2 विश्वसनीय नहीं हैं, क्योंकि उनकी साक्ष्य में गंभीर विसंगतियां हैं। साथ ही पी.ड. 1 हितबद्ध साक्षी है, क्योंकि दोंनों पक्षों की लड़ाई में शामिल था, जिसमें अभियुक्तों को भी चोटें लगी थी, जिसका अभियोजन के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है, जिससे अभियुक्त के विरूद्ध दोषसिद्धी व दण्डादेश अपास्त करने योग्य है।

यह और कि यदि अभियोजन साक्ष्य पर विश्वास भी किया जावे तो भी अभियुक्त धारा 300 भारतीय दण्ड संहिता के अपवादों से मिलने वाले बचाव का अधिकारी है, क्योंकि शिकातयकर्ता पक्ष की ओर से प्रकोपन दिया गया था व अचानक झगड़े से घटना हुई है।

10. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्कों का विरोध राज्य की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता ने किया है कि अभियुक्तों को कारित चोटें अत्यंत साधारण हैं, जबकि मृतक को कारित चोटें अत्यंत गंभीर हैं और शरीर के मर्म भागों पर हैं, जो यह भी दर्शित करती है कि अभियुक्तों का मृतक को मारने का इरादा था। यद्यपि पी.ड. 1 को कारित चोटें भी गंभीर प्रकृति की हैं, किन्तु उसने अपने आपको घटनास्थल से भागकर बचा लिया।

11. अपीलार्थी की ओर से यह भी तर्क उठाया गया कि एफआईआर विलम्ब से दर्ज हुई है, जिसका खण्डन राजय पक्ष की ओर से यह कहते हुये किया गया है कि मृतक की खोज नहीं हो पा रही थी इसलिये शिकायतकर्ता व उसके रिश्तेदार पूरी रात मृतक को खोजने में लगे रहे और एफआईआर मृतक की लाश अगली सुबह दलीप सिंह के टपरा के पास मिलने के बाद दिनांक 18.11.1986 को दर्ज कराई गई और निवेदन किया गया कि एफआईआर में विलम्ब का यह उचित स्पष्टीकरण है।

12. हमने दोनों पक्षों के कथनों व अभिलेख पर रखे गये दस्तावेजों पर विचार किया है।

13. सुवेग सिंह आहत साक्षी है, इसिलये घटना का चक्षुदर्शी साक्षी भी है। उसने घटना का स्पष्ट ब्यौरा दिया है और कथन किया है कि शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से कोई प्रकोपन नहीं था, वास्तव में प्रकोपन अभियुक्तों ने दिया था। उसने स्पष्ट कथन किया है कि वह भोला सिंह के साथ दुकान से लौट रहा था जहां वे चने के बीच लाने गये थे और वे दलीप सिंह के टपरा के पास रात्रि 8 बजे पहुंचे तब उन्होंने पाया कि बलदेव सिंह के हाथ में लाठी थी, छिदा उर्फ गुरूदेव लोहंगी से व राजू कृपाण से सुसज्जित था। उसने यह भी कथन किया है कि तीनों अभियुक्तों ने उसे तथा भोलासिंह को घेर लिया और बलदेव सिंह ने कहा कि उसकी बहन की सगाई भोला सिंह की मध्यस्थता से सलईया में हुई है। पी.ड. 1 ने अपनी साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि अभियुक्त इस सगाई के विरोध में थे और उन्होंने भोलासिंह को इस विवाह को निरस्त करने को कहा, जिससे भोलासिंह ने इंकार किया, जिस पर छिदा उर्फ गुरूदेव, राजू व बलदेव ने भोला व पी.ड. 1 पर हमला कर दिया और भोला सिंह के शरीर के विभिन्न भागों पर गंभीर चोटें कारित कर दी व पी.ड. 1 को भी चोटें कारित की।

14. पी.ड. 1 चक्षुदर्शी साक्षी का यह सुस्पष्ट कथन है कि वर्तमान अपीलार्थी छिदा उर्फ गुरूदेव सिंह व अन्य अभियुक्तों ने मृतक के सिर व शरीर पर गंभीर चोटें कारित की जो लोहंगी, कृपाण व लाठी से कारित की, जो अभियुक्तगण अपने साथ ही लाये थे। छिददा सिंह उर्फ गुरूदेव सिंह ने

पी.ड. 1 के हाथ पर लाठी मारी व बलदेव ने उसकी कमर पर लाठी मारी व छिदा ने पीठ पर लाठी मारी, इन चोटों के लगने पर पी.ड. 1 को यह विश्वास हो गया कि अभियुक्त उसे मार देंगे, तब वह घटना से भाग गया और उसने घटना अपने पिता प्यारासिंह को बताई। इस पर प्यारासिंह व गवाह पी.ड. 1 व अन्य लोग घटनास्थल पर आये पर उन्हें भोला वहां नहीं मिला। वे उसे पूरी रात ढूंढते रहे तो उन्हें अगली सुबह दिनांक 18.11.1986 को दलीप सिंह के टपरा के पास नाला में मिला तब वे वापिस जनकपुर आये और रिपोर्ट दर्ज कराई।

15. लक्खा सिंह पी.ड. 2, जो घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है, स्पष्ट कथन करता है कि तीनों अभियुक्तों ने भोला के सिर में, हाथों पर व टांगों पर चोटें मारी व पी.ड. 1 सुवेग सिंह के भी चोटें मारी जब सुवेग सिंह भोला को बचा रहा था, जिस पर सुवेग सिंह घटना से भाग गया। उसने यह भी बताया कि बलदेव सिंह, गुरूदेव सिंह व राजू ने भोला सिंह को उठाया और नाला की ओर ले गये। उसने यह और बताया कि उसने चोरी छिपे 8-10 कदम पीछे रहकर अभियुक्तों का पीछा किया, अभियुक्तों ने भोला को नाले में फेंक दिया, जिस समय भोला सिंह कराह रहा था और अभियुक्तों से याचना कर रहा था, किन्तु बलदेव सिंह ने भोला को पुनः लाठी से पीटा और छिदा उर्फ गुरूदेव सिंह ने लोहंगी से पीटा, उसके बाद राजू ने कहा कि भोला मर गया है, तब सभी अभियुक्तों ने भोला के शरीर को छोड़ दिया और टपरा की ओर चले गये। इसके बाद पी.ड. 2 अपने

गांव शरणागत आ गया और अगले दिन गांव जनकपुर गया और सारी घटना हरदेव सिंह को बताई।

16. पी.ड. 1 व पी.ड. 2, दोनों के साक्ष्य का समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से होता है जो चिकित्सीय साक्ष्य डाॅ. बी.डी. शर्मा पी.ड. 7 ने दी है। डाॅ. बी.डी. शर्मा ने मृतक के शरीर का शव परीक्षण दिनांक 18.11.1986 को किया था और यह पाया कि मृतक के शरीर पर 21 चोटें थी, जो विच्छिन्न घाव थे व साथ ही सिर व अन्य अंगों की रक्त वाहिकाएं विच्छिन्न हो गई थी। सिर पर लगी चोटें छितरे हुये घाव के रूप में थी और खोपड़ी की रक्त वाहिकाएं टूटी हुई थी और घाव गहरे थे एवं चोटें भी गंभीर प्रकृति की थी जो तीखे धारदार कठोर व मोटे हथियार से थी। इस प्रकार इस शव परीक्षण से साबित हो गया है कि मृतक को चोटें तलवार, लोहंगी व लाठी से कारित हुई थी और यह चोटें मृत्यु कारित करने के इरादे से ही मारी गई थी।

17. अभिलेख से यह भी स्थापित हुआ था कि लाठी, लोहंगी व तलवार अभियुक्तों की निशानदेही पर बरामद हुई थी एवं अभियुक्तों के कथनों से भी उक्त बरामदगी हुई थी जो वर्तमान मामले में साक्ष्य में ग्राह्य है।

18. पी.ड. 7 का साक्ष्य शव परीक्षण प्रतिवेदन व पी.ड. 1 व पी.ड. 2 चक्षुदर्शी साक्ष्य के साथ व अभियुक्तों के कथनों के साथ पढ़ा जावे, जिनसे

बरामदगी हुई है, जो साक्ष्य में ग्राह्य है, यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि मृतक को तलवार, लाठी व लोहंगी से गंभीर चोटें लगी थी, जिन हथियारों का प्रयोग अभियुक्तों ने किया था और इन चोटों से भोला सिंह की मृत्यु हुई है।

19. डाॅ. बी.डी. शर्मा ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मृतक के शरीर पर कुल 21 चोटें थी, जिनमें से 8 चोटें सिर पर थी, इन चोटों से ही मृतक के मस्तिष्क व मस्तिष्क की बाह्य परत के बीच रक्त जमा हुआ था। इस गवाह ने यह स्पष्ट किया कि मृतक की मृत्यु सिर पर लगी चोटों से ही हुई थी, यह चोटें प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हैं।

20. इस प्रकार उक्त चोटें चिकित्सीय साक्ष्य व पी.ड. 1 व पी.ड. 2 चक्षुदर्शी साक्ष्य से साबित है।

21. गुरमेज सिंह पी.ड. 4, जो लाठी, लोहंगी व कृपाण की बरामदगी का गवाह है, यह गवाह स्पष्ट कथन करता है कि अभियुक्तों के कथनों के आधार पर इन हथियारों की बरामदगी हुई है और उस स्थान से हुई है जो अभियुक्तों ने दिखाया था। इस साक्ष्य से भी अभियुक्तों पर लगा अभियोग साबित है।

22. अपीलार्थी की ओर से यह भी बचाव उठाया गया है कि घटना मृतक व पी.ड. 1 द्वारा दिये गये प्रकोपन के परिणामस्वरूप जिससे अचानक

झगड़ा हो गया, इसलिये अभियुक्त धारा 300 भारतीय दण्ड संहिता के बचाव का हकदार है।

23. अभियुक्त के इस कथन से यह प्रतीत होता है कि वह भारतीय दण्ड संहिता के अपवाद पहले व चैथे का लाभ उठाना चाहता है। धारा 300 भारतीय दण्ड संहिता का प्रथम अपवाद इस प्रकार है कि:-

> "अपवाद 1: आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अभियुक्त अचानक एवं गंभीर प्रकोपन के कारण आत्मसंयम से वंचित हो गया हो और उसने प्रकोपनकर्ता की या भूल या दुर्घटना से किसी अन्य की मृत्यु कारित कर दी हो।

अपवार 4: आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि बिना पूर्व चिंतन के अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुआ है जिसमें अभियुक्त ने अनुचित लाभ नहीं उठाया है और अप्रायिक रूप से कार्य नहीं किया है

24. प्रथम अपवाद के संबंध में के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट राज्य, एआईआर 1962 एससी 605 का संदर्भ लेना उचित है, जिसमें यह निर्धारण किया गया है कि धारा 300 भारतीय दण्ड संहिता के प्रथम अपवाद का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां अस्तित्व में होनी चाहिए:-(1) मृतक ने अभियुक्त को प्रकोपन दिया हो, (2) प्रकोपन गंभीर हो, (3) प्रकोपन अचानक हो, (4) अभियुक्त इस प्रकोपन से आत्म नियंत्रण

से वंचित हो गया हो, (5) और अभियुक्त ने इस आत्म नियंत्रण के अभाव की परिस्थिति में ही मृतक की मृत्यु कारित की हो, (6) अभियुक्त ने बाध्यकारी रूप से केवल उसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की हो, जिसने यह प्रकोपन दिया हो या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश हो गई हो।

25. धारा 300 के चैथे अपवाद के संबंध में कुलेश मण्डल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2007) 8 एससीसी 578 में इस न्यायालय ने यह विधि दी है कि

"12. धारा 300 भारतीय दण्ड संहिता के अपवाद 4 के लागू होने के लिये घटना अचानक झगड़े में होनी चाहिए।

13. और घटना पूर्व चिंतन के बिना अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में होनी चाहिए, जिसमें अभियुक्त ने कोई अनुचित लाभ न उठाया हो एवं क्रूररतापूर्ण कार्य नहीं किया हो एवं अस्वाभाविक रूप से कार्य नहीं किया हो।

26. बाबूलाल भगवान खंडारे व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005) 10 एससीसी 404 में धारा 300 भारतीय दण्ड संहिता के अपवाद प्रथम व चतुर्थ के लागू होने की निम्न शर्तें बताई हैं:-

"17. धारा 300 भारतीय दण्ड संहिता का चैथा अपवाद उन कार्यों का बचाव करता है जो अचानक झगड़े में हुये हैं और

यह वहां लागू होता है जहां प्रथम अपवाद लागू नहीं होता है, जिसके चलते ही इसका स्थान प्रथम अपवाद के बाद रखा गया है। दोनों ही अपवादों में पूर्व चिंतन का अभाव है, किन्तु प्रथम अपवाद में आत्म नियंत्रण का पूर्ण अभाव है जबकि चतुर्थ अपवाद में आवेश की तीव्रता के कारण अपराधी कार्य करता है, जो अन्यथा नहीं करता। इस प्रकार चैथे अपवाद में भी प्रथम अपवाद के समान प्रकोपन है, किन्तु चोटें प्रकोपन का सीधा परिणाम नहीं हैं। वास्तव में अपवाद 4 वहां लागू होता है जहां चोटें मारी गई हों या विवाद के प्रारम्भ में प्रकोपन दिया हो या किसी भी प्रकार से झगड़ा आरम्भ हुआ हो। इस प्रकार बाद का आचरण दोनों पक्षों को दोषसिद्धी की हद तक बराबर रखता है। अचानक झगड़े में परस्पर प्रकोपन होता है और परस्पर ही चोटें लगती हैं। ऐसे में एक पक्षीय प्रकोपन मानव वध की दशा में आसानी से नहीं खोजा जा सकता और ना ही किसी एक पक्ष को आक्षेपित किया जा सकता है। इस प्रकार यदि एक पक्ष प्रकोपन देता है वहां अपवाद 1 का प्रयोग अधिक युक्तियुक्त है।

18. अपवाद 4 वहां लागू हाता है (ए) जहां पूर्व चिंतन ना हो, (बी) अचानक झगड़ा हुआ हो, (सी) अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया हो या

निर्दयतापूर्वक कार्य नहीं किया हो या अस्वाभाविक तरीके से कार्य नहीं किया हो (डी) एवं झगड़ा मृतक से हुआ हो। अपवाद 4 में आने वाली उपरोक्त शर्तों की पूर्ति होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि ''झगड़ा'' शब्द भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित नहीं है। झगड़े के लिये 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है और आवेश की तीव्रता वहां मानी जाती है जहां आवेश को कम होने के लिये समय ना मिला हो और इस प्रकरण में पक्षकारों ने गुस्से में शाब्दिक वाद विवाद प्रारम्भ में किया था। झगड़ा दो या दो से अधिक लोगों के बीच बिना हथियारों के होता है। यह संभव नहीं है कि एक सामान्य नियम बनाया जा सके कि अचानक झगड़ा किसे कहा जाये। यह एक तथ्य का प्रश्न है कि झगड़ा अचानक था और यह साबित तथ्य पर निर्भर करता है जो प्रत्येक केस के अलग-अलग हो सकते हैं। धारा 300 भारतीय दण्ड संहिता के अपवाद 4 का लाभ लेने के लिए यह प्रयास नहीं है कि केवल यह दर्शित किया जाये कि झगड़ा अचानक था और उसमें पूर्व चिंतन नहीं था। हमलावर को यह भी साबित करना होगा कि उसने अनुचित लाभ नहीं उठाया है या निर्दयतापूर्वक या अस्वाभाविक तौर पर कार्य नहीं किया है। अनुचित लाभ का अर्थ है अन्यायिक लाभ।

19. जहां अपराधी ने अनुचित लाभ उठाया हो या निर्दयतापूर्वक या अस्वाभाविक रूप से कार्य किया हो वहां इस अपवाद 4 का लाभ नहीं दिया जा सकता। यदि हथियार या उसके प्रयोग का तरीका आनुपातिक रूप से अधिक है, वहां इन तथ्यों को भी यह निष्कर्ष निकालने के लिए ध्यान में

रखा जायेगा कि क्या अभियुक्त ने अनुचित लाभ उठाया है। कीकर सिंह बनाम राजस्थान राज्य में यह विधि निर्धारित हुई है कि यदि अभियुक्त ने घातक हथियार का प्रयोग निहत्थे व्यक्ति के विरूद्ध किया है और उसके सिर पर एक चोट मारी है वहां यह माना जाना चाहिए कि यह चोट इस ज्ञान के साथ कारित की गई है कि इस चोट से मृत्यु होना संभव है और अभियुक्त ने अनुचित लाभ उठाया है।

27. अभियुक्त का यह बचाव कि उसका मामला धारा 300 के अपवाद में आता है, साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकोपन अभियुक्त की तरफ से दिया गया था, ना कि मृतक की तरफ से या पी.ड. 1 की तरफ से और यह अचानक हमला नहीं था, क्योंकि यह साबित किया गया है कि अभियुक्तगण घातक हथियारों से लैश थे, जैसे लोहंगी, कृपाण। वास्तविक तथ्य यह है कि घटनास्थल पर अभियुक्तों ने मृतक व घायल चक्षुदर्शी साक्षी पी.ड. 1 व भोला सिंह को घेर लिया था और तलवार, लाठी व लोहंगी से वार करने प्रारम्भ कर दिये थे ताकि भोलासिंह को मारा जा सके। ऐसे में बचाव पक्ष का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि उनका मामला धारा 300 भारतीय दण्ड संहिता के उपरोक्त बताये गये किसी अपवाद में आता हो।

28. जहां तक एफआईआर दर्ज कराने में विलम्ब का प्रश्न है तो इस संबंध में हम सूचना प्रदाता द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से संतुष्ट हैं, क्योंकि

मृतक घटनास्थल पर नहीं मिला था, जिससे शिकायतकर्ता व पी.ड. 1 पूरी रात मृतक को ढूंढते रहे और मृतक की लाश मिलने के बाद ही व उसकी मृत्यु हो गई है, यह सुनिश्चित होने के तत्काल बाद ही एफआईआर दर्ज करवाई गई है। उक्त स्पष्टीकरण युक्तियुक्त है।

29. अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य को देखने के पश्चात् हम संतुष्ट हैं कि अपीलार्थी धारा 302/34 व 323/34 भारतीय दण्ड संहिता का दोषी है। फलतः मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का दोषसिद्धी का आदेश न्यायपूर्ण है। हम इस अपील में किसी प्रकार का सार नहीं पाते हैं और अपील खारिज की जाती है।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी चन्द्रशेखर पारीक ;आरजेएस द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिएए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।